web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

SJU
Govt. Registered
Social Justice Union

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार, 18 मई 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 229

महत्वपूर्ण एवं खास

गहलोत ने बूंदी के रामगढ़ विषधारी को बाघ अभयारण्य के रुप में अधिसूचित करने पर जताई खुशी

जयपुर (आरएनएस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रुप में अधिसूचित करने पर खुशी जताई हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि बूंदी के रामगढ़ विषधारी को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। हमारी सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। यह श्रीमती इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता का एक और आयाम है। उन्होंने देश और दुनिया के सैलानियों एवं वन्यजीव प्रेमियों को यहां घूमने के लिए आमंत्रित किया है। उधर इससे प्रदेश एवं बूंदी जिले के वन प्रेमियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। उल्लेखनीय है कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीएए) गजट नोटिफिकेशन जारी कर देश का 52वां एवं राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य के तौर पर मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने दो साल पहले बजट सत्र में बूंदी में चौथा बाघ अभयारण्य बनाने की घोषणा की थी। वर्ष 1982 में बनाये गये रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण के एक तरफ रणथंभौर है तो दूसरी तरफ मुकुंदरा बाघ अभयारण्य है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में टाइगर टी-115 मौजूद हैं और इसके अलावा नीलगाय, सियार, हिरण, भालू, हाईना, जंगली कुत्ते, चीतल, सांभर, जंगली बिल्लियां, तेंदुए, लंगूर, सांप, मगरमच्छ सहित करीब पांच सौ प्रकार के वन्यजीव हैं।

सिद्धार्थनगर में चार बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश मे सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस एवं एसएसबी के संयुक्त अभियान में अवैध ढंग से नेपाल सीमा पार करने वाले चार बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक डा एस बी सिंह ने आज बताया है कि नेपाल बार्डर पर सोमवार देर ररात एसएसबी तथा मोहाना पुलिस की संयुक्त टीम चेकिंग कर रही थी कि ककरहवा बार्डर से नेपाल जाने की फिराक मे चार बांग्लादेशियों रसेल अहमद उर्फ जमान,साईम भुईयान,शकीब अहमद हुसैन,मो0 नजमुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों को विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया है।

पश्चिम चंपारण में सडक़ दुर्घटना में कार सवार चार लोगों की मौत, चार घायल

बगहा (आरएनएस)। बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र में बाल्मीकि नगर बगहा मुख्य पथ पर मंगलवार की सुबह सडक़ दुर्घटना में कार पर सवार चार लोगों की मौत हो गयी तथा चार अन्य घायल हो गये। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार , वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल से होकर गुजरने वाले बाल्मीकि नगर बगहा मुख्य पथ पर नौरंगिया थाना के हरदिया चाती के पास एक अनियंत्रित कार सडक़ किनारे पेड़ से टकरा गयी। इस दुर्घटना में कार पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि छह लोग घायल हो गये। घायलों को बगहा अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां दो बच्चियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल चार लोगों का इलाज चिंताजनक स्थिति में चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि जिले के नवलपुर थाना के कवलापुर गांव निवासी निवासी उदय नारायण साहनी के यहां शादी थी। उनका बेटा नागमणि चालक रामबाबू के साथ शादी समारोह में शामिल कराने के लिए बाल्मीकि नगर के लव-कुश घाट स्थित अपनी बहन के घर गया था। सुबह कार में बहन और दो भांजी समेत आठ लोग सवार होकर शादी समारोह में भाग लेने के लिए लौट रहे थे तभी यह दुर्घटना हुयी। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिये भेज दिया गया है।

देश को मिले दो जंगी जहाज, नौसेना की बढ़ेगी ताकत

सेल ने भारत के स्वदेशी नौसेना युद्धपोतों आईएनएस उदयगिरी व आईएनएस सूरत के लिए विशेष स्टील की आपूर्ति की

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने भारत के स्वदेशी नौसेना युद्धपोतों आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस सूरत के लिए 4300 टन विशेष स्टील की आपूर्ति की है। सेल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले स्टील में डीएमआर 249-र ग्रेड प्लेट्स और एचआर शीट्स शामिल हैं। स्टील की पूरी मात्रा सेल के बोकारो, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट्स से सप्लाई की गई है। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन में महत्त्वपूर्ण योगदान देने और आयात को प्रतिस्थापित करने की दिशा में, देश के प्रयासों को मजबूत करने के सेल के निरंतर प्रयासों की दिशा में एक और कदम है। सेल ने इससे पहले भी आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कमोर्टा सहित भारत की विभिन्न रक्षा परियोजनाओं के लिए विशेष गुणवत्ता वाले स्टील की आपूर्ति की है।

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय नौसेना के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक में दो युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया। ये दोनों युद्धपोत मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित हैं। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने कहा कि यह पहली बार है कि स्वदेशी निर्मित दो युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए इन दोनों युद्धपोतों के नाम पर्वत और शहर के नाम से रखे गए हैं। दोनों युद्धपोतों को नौसेना डिजाइन निदेशालय (डीएनडी) द्वारा इन-हाउस डिजाइन किया गया है और एमडीएल, मुंबई में बनाया गया है। सूरत प्रोजेक्ट 15बी श्रेणी का चौथा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, जबकि उदयगिरि पी17ए श्रेणी का दूसरा स्टील्थ युद्धपोत।

दोनों युद्धपोतों को लॉन्च करते हुए राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में दोनों युद्धपोतों को देश की समुद्री क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता के एक अवतार के रूप में वर्णित किया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का भी खास ध्यान रखा गया है। इन स्वदेशी युद्धपोतों का लॉन्च इस वक्त काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी और यूक्रेन-रूस के बीच महायुद्ध को झेल रही है।

आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15 बी का नेक्स्ट जेनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यह 7400 टन भारी है। इसकी लंबाई 163 मीटर और गति करीब 56 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी। इस पर चार इंटरसेप्टर बोट के साथ 50 अफसर और 250 नौसैनिक रह सकते हैं। यह करीब 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। आईएनएस उदयगिरि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 ए का तीसरा फ्रिगेट युद्धपोत है। स्वदेश निर्मित यह आधुनिक सुविधाओं और उन्नत हथियारों से लैस युद्धपोत है। इसमें उन्नत हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है। आईएनएस उदयगिरि नौसेना के प्रोजेक्ट का तीसरा फ्रिगेट युद्धपोत है। नौसेना के इस प्रोजेक्ट के तहत देश में ही 7 फ्रिगट तैयार किये जाने हैं।

दरगाह के पास हनुमानजी की मूर्ति लगाने पर बवाल, उपद्रवियों ने किया पथराव, धारा 144 लागू

नीमच (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के नीमच में पुरानी कचहरी पर हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। इसके बाद कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए आँसू गैस के गोले छोडऩे पड़े। स्थिति को काबू करने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है।

नीमच के एसपी सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि एक दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने पहुँच कर स्थिति पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ है। इसमें दो तीन बाइकों को नुकसान पहुँचा है। हालाँकि उनके अनुसार विवाद में कोई भी घायल नहीं हुआ है।

नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि जहाँ विवाद हुआ, वहाँ हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। विवाद के वक्त भीड़ हटाने के लिए आँसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके बाद पुलिस ने गलियों में पेट्रोलिंग की और लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है।

स्थानीय पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने के लिए भी कहा है। नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, अभी तक विवाद को लेकर पलिस को किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है।

नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि विवाद की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देने के लिए कंट्रोल रूम बुलाया था। इस बीच कुछ लोगों ने मौके पर पत्थरबाजी शुरू कर माहौल खराब करने की कोशिश की। जानकारी मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुँचा।

गेहूं निर्यात अधिसूचना में कुछ छूट, आदेश से पूर्व सीमा शुल्क विभाग के साथ पहले से ही पंजीकृत गेहूं की खेप की अनुमति दी गई

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा गेहूं निर्यात को प्रतिबंधित करने पर दिनांक 13 मई को जारी अपने आदेश में कुछ छूट दिए जाने की घोषणा की है। यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं भी गेहूं की खेपों को जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है और जो उनकी प्रणाली में 13.05.2022 को या उससे पहले पंजीकृत कर लिए गए हैं, वैसी खेपों को निर्यात किए जाने की अनुमति होगी।

सरकार ने मिस्र की ओर जाने वाली गेहूं की खेप को भी अनुमति दी जो पहले से ही कांडला बंदरगाह पर लोडिंग के तहत थी। इसके बाद कांडला बंदरगाह पर लोड किए जा रहे गेहूं कार्गो को अनुमति देने का मिस्र सरकार द्वारा अनुरोध किया गया। मिस्र को गेहूं के निर्यात के लिए संलग्न कंपनी मेसर्स मेरा इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लिमिटेड ने भी 61,500 एमटी गेहूं की लोडिंग को पूरा करने के लिए अभ्यावेदन किया था जिसमें से 44,340 एमटी गेहूं पहले ही लोड किया जा चुका था और केवल 17,160 एमटी गेहूं का लदान किया जाना ही शेष था। सरकार ने 61,500 एमटी गेहूं की पूरी खेप की अनुमति देने का निर्णय लिया और इसे कांडला से मिस्र तक जहाज से ले जाये जाने की अनुमति दी।

भारत सरकार ने पहले भारत में समग्र खाद्य सुरक्षा स्थिति को प्रबंधित करने के लिए तथा पड़ोसी एवं निर्बल देशों, जो गेहूं के लिए वैश्विक बाजार में अचानक आए बदलावों द्वारा प्रतिकूल तरीके से प्रभावित हैं और समुचित गेहूं आपूर्तिओं की सुविधा पाने में अक्षम हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए गेहूं निर्यातों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध ऐसे मामलों में, जहां साख पत्र के माध्यम से निजी व्यापार द्वारा पहले से प्रतिबद्धताएं की जा चुकी हैं तथा ऐसी परिस्थितियों में भी, जहां भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा उनकी सरकारों के आग्रह पर अनुमति प्रदान की जाती है, लागू नहीं होगा। इस आदेश ने तीन मुख्य उद्देश्यों को पूरा किया: यह भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा महंगाई दर को नियंत्रित करता है, यह खाद्य कमी का सामना कर रहे दूसरे देशों की सहायता करता है तथा एक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की विश्वसनीयता को बनाये रखता है।

ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में मस्जिद सील करने की मांग, कोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली (आरएनएस)। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा के शाही ईदगाह विवादित ढांचे को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने की अपील कोर्ट से की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि अग इस परिसर को सील नहीं किया गया तो इसमें मौजूद गर्भगृह और पुरातात्विक मंदिरों के अवशेष क्षतिग्रस्त किए या उनको हटाया भी जा सकता है। अब कोर्ट तय करेगा कि इस याचिका पर सुनवाई होनी है या नहीं?

गौरतलब है कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद उस जगह को सील कर दिया गया है, जहां मस्जिद का वजूखाना है। ज्ञानवापी में सीलिंग की कार्यवाही के बाद अब मथुरा के ईदगाह मस्जिद में भी सीलिंग की कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस बाबत मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट

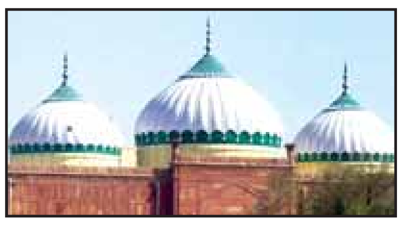

में याचिका दायर की गई है।

हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरह से हिंदू शिवलिंग अवशेष मिले हैं, उससे स्थिति स्पष्ट हो गई कि वहां प्रतिवादी (मुस्लिम पक्ष) शुरू से ही इसी कारण विरोध करते रहे हैं। यही स्थिति श्रीकृष्ण जन्म भूमि की है, जो असली गर्भगृह है, वहां पर सभी हिंदू धार्मिक अवशेष कमल, शेषनाग, ऊं, स्वास्तिक आदि हिंदू धार्मिक चिन्ह व अवशेष है, जिनमें से कुछ को मिटा दिया गया है।

हिंदू याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा, अगर हिंदू अवशेषों को मिटा दिया तो करेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा और वाद का उद्देश्य व साक्ष्य खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वहां (ईदगाह मस्जिद) में सभी का आना-जाना प्रतिबंधित कर उस परिसर की उचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाए या परिसर को सील किया जाए।

हिंदू याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि शाही ईदगाह (मूल गर्भ गृह) को सील करें व परिसर के लिए सुरक्षाधिकारी नियुक्त करें और उन्हें यह निर्देश दिया जाये कि वे उक्त सम्पत्ति से बने प्राचीन हिंदू धार्मिक चिन्हों, स्वास्तिक, कमल, ऊं और अन्य कलाकृतियों को नष्ट न करें। इसके साथ ही 1 जुलाई के स्थान पर तुरंत सुनवाई करने की मांग की गई है।

वहीं इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में वादी मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने की मांग की थी। मथुरा कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी, लेकिन हिंदू याचिकाकर्ताओं ने अब कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है।

याचिकाकर्ता मनीष यादव के वकील देवकीनंदन शर्मा का कहना था, ईदगाह के अंदर जो शिलालेख हैं, उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा हटाया जा सकता है और एविडेंस को नष्ट किया जा सकता है, दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में वहां की फोटोग्राफी कराई जाए और सभी तथ्यों को जुटाया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी।

वहीं शाही ईदगाह मस्जिद के वकील तनवीर अहमद का कहना था, वादी पिछले 2 वर्षों में विभिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्र देते रहे हैं, उन्हें खुद मालूम नहीं है कि वह आखिर वह क्या कहना चाहते हैं, मथुरा में दोनों के धर्मस्थल अलग हैं, वीडियोग्राफी की कोई आवश्यकता नहीं है।

कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी बिल लाने का फैसला किया था। बोम्मई सरकार ने पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021 को विधानसभा में पेश किया गया था। तब इस बिल को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ था। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया था।

कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा था कि हमने कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार सुरक्षा विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह विधान परिषद में पारित नहीं हो सका। इसलिए मंत्रिमंडल ने अध्यादेश लाने का निर्णय लिया।

कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने मंगलवार राज्य सरकार के वादे को दोहराते हुए कहा कि यह विधेयक किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन, जबरन या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण की कानून में कोई जगह नहीं है। इस कानून का विरोध करते हुए एक ज्ञापन के साथ ईसाई समुदाय के नेता सोमवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने पहंचे थे। उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून धार्मिक अधिकार प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधानों में कटौती नहीं करता।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर सवारियों से भरी बस पलटी, 2 की मौत 21 घायल

उन्नाव (आरएनएस)। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर बांगरमऊ क्षेत्र के गहर पुरवा गांव के पास मंगलवार सुबह सवारियों से भरी बस पलट गई। हादसे में बस सवार दो लोगों की मौत हो गई। जबकि 21 लोग गंभीर रुप से घायल हैं। बता दें कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे बांगरमऊ क्षेत्र में गहरपुरवा गांव के पास मंगलवार सुबह सवारियों से भरी बस पलट गई। हादसे में बस में सफर कर रहे दो यात्रियों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। गौरतलब हो कि बस चालक जयपुर से सवारियां लेकर बिहार जा रहा था। अगर यात्रियों की माने तो बस के अंदर चालक व परिचालक आपस में किसी बात पर चर्चा करने लगे, अचानक चालक न अपना नियंत्रण बस से खो दिया, परिणामत: एक बडा हादसा सामने देखने को मिला। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल यात्रियों को बस से बाहर निकाल कर 21 घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद सात घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मृतकों में बिहार प्रांत के थाना महरावा के तितर बाजार के रहने वाले राकेश ठाकुर (45) की पहचान हो पाई है, दूसरे की शिनाख्त की पुलिस कोशिश कर रही है। हादसे के समय साथ में मौजूद तेरह वर्षीय बेटा लकी ने बताया कि पिता राकेश जयपुर में नाई का काम करते थे। बेटी रागिनी की शादी के लिए गांव जा रहा थे।

एसडीएम ने किए भोजन पानी के प्रबंध- आगरा एक्सप्रेस-वे पर बांगरमऊ क्षेत्र में हुई बस दुर्घटना के यात्रियों हेतु भोजन व चिकित्सकीय व्यवस्था का उपजिलाधिकारी बांगरमऊ अंकित शुक्ला द्वारा प्रबंध किया गया। एसडीएम द्वारा तत्काल किए गए प्रबंध से भूखे प्यासे घायल यात्रियों ने कुछ हद तक राहत की सांस अवश्य ली।मृतक राजेश ठाकुर जयपुर में बाल कटिंग की दुकान चलाता था। राजेश की बहन रागिनी का आज तिलक होना था। उसी में शामिल होने के लिए राजेश अपने 10 वर्षीय पुत्र लकी के साथ घर जा रहा था। रास्ते में हुई दुर्घटना में राजेश काल के गाल में समा गया। जिससे बहन के तिलक समारोह की खुशियां मातम में बदल गई।

मामूली रूप से घायल लगभग 4 दर्जन यात्रियों को एक्सप्रेस वे पर स्थित पुलिस चौकी परिसर में बिठाया गया। घायलों का इलाज करने के लिए यहां के सरकारी अस्पताल से चिकित्सकों का दल एक्सप्रेस वे पर पहुंचा। मरहम पट्टी के बाद सीओ विक्रमाजीत सिंह ने एक अन्य बस बुलवाई। सभी यात्रियों को बस पर बैठाकर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की।

नोएडा में कैंटर ने साइकिल सवारों को मारी टक्कर, 6 घायल

नोएडा (आरएनएस)। नोएडा में मंगलवार की सुबह साइकिल सवारों के एक समूह को टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना एक्सप्रेस-वे पर सेक्टर 94 के पास उस समय हुई जब दिल्ली से आ रहे एक कैंटर ने साइकिल सवारों के एक समूह को टक्कर मार दी, जो सेक्टर 137 के सभी निवासी थे। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना को लेकर एक अधिकारी ने कहा है कि, सभी को फेलिक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी ठीक है। टक्कर मारने वाले कैंटर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है पर उसका चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कहा, मामले की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।